

सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों (जे०सी०ओ० तक) एवं उनके विधवाओं के अनाथ बच्चों के लिए प्रतिमाह ₹ 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र।

भाग - "क"

(आवेदक/आवेदिका का विवरण)

हाल का पासपोर्ट
फोटो चिपकाए

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ).....
भूतपूर्व सैनिक/विधवा का न०रैंक नाम अलंकरण.....
2. स्थाई पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :
ग्राम पोस्ट जिला
पिन मोबाईल सं०.....
3. वर्तमान पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :
ग्राम पोस्ट जिला
पिन मोबाईल सं०
4. सेना में भर्ती की तिथि
5. सेना से निवृत्ति की तिथि 6. सेना से निवृत्ति का कारण
7. सैनिक की मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
8. सैनिक की पत्नी की मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
9. आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले अनाथ बच्चे का विवरण :-
नाम जन्म तिथि लिंग
10. राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड द्वारा तिमाही
राशि @ ₹ 2,500/- प्रतिमाह कुल राशि ₹.....मात्र।

घोषणा

मैं जानता/जानती हूँ कि यह केवल एक अनुग्रह है और मांगी गई राशि पर मेरा कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। मैं एक गैर-पेंशन भोगी हूँ तथा किसी भी स्रोत से किसी प्रकार के पेंशन का लाभग्राही नहीं हूँ, परंतु मेरे अनाथ होने के कारण पेंशन पाने की योग्यता को पूरा करता/करती हूँ तथा उसके लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय,..... से कार्यवाई अंतिम चरण पर है। मैं यह स्पष्ट करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सही है तथा मैं जि०सै०क०का० के पेंशन अदायगी आदेश (PPO) मिलने पर तुरन्त जानकारी दूँगा/ दूँगी।

दिनांक :

अनाथ आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

नाम :

नोट : आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

- | | |
|---|---|
| 1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति | 2. पिता/विधवा के पेंशन अदायगी आदेश (PPO) की छायाप्रति |
| 3. आधार कार्ड की छायाप्रति | 4. जि०सै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र |
| 5. बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति | 6. मुखिया द्वारा जारी अविवाहिता प्रमाण पत्र |
| 7. प्रखण्ड द्वारा जारी बेरोजगार प्रमाण पत्र | 8. अनाथ बच्चे का मैट्रिक का प्रमाण पत्र |

खण्ड – "ख"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के व्यवहार हेतु)

कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन

11. आवेदक/आवेदिका का निम्नलिखित मूल दस्तावेजों की व्यक्तिगत और भौतिक जाँच कर ली गई है एवं जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी द्वारा सत्यापित है :-

- (क) भूतपूर्व सैनिक/विधवा के आश्रित का पहचान पत्र जिसमें भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने का स्पष्टीकरण हो ।
(ख) डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति
(ग) अभिभावकों का मृत्यु प्रमाण पत्र।

12. पेंशन स्वीकृति हेतु अभिलेख कार्यालय/कार्यालय रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (पेंशन), प्रयागराज (ईलाहाबाद) के साथ कि गई पत्राचार का संक्षिप्त विवरण पत्रांक सहित

13. आवेदक/आवेदिका का अनाथ भत्ता हेतु विवरण जाँचा गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है। इस आवेदक को ₹ मात्र (रूपये मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता भुगतान हेतु अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है। इनका नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक दर्ज है।

दिनांक : (कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर)

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

14. कल्याण व्यवस्थापक श्री के जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक को से तिमाही के लिए ₹/- (रूपये.....मात्र) एक मुश्त भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

खण्ड – "ग"

सैनिक कल्याण निदेशालय

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : सहायक निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची

16. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक : निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची